राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 40/2025 6–ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार निरीक्षक भीलवाडा –प्रार्थी

बनाम

कैलाश मेघवंशी पुत्र भैरूलाल मेघवंशी निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा फर्म मालिक अपोलो टायर्स की दुकान, न्यू बस स्टेण्ड के पास, पण्डेर तहसील जहाजपुर –अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित दवित पेट्रोलियम गैस कन्ट्रोल ऑर्डर 2000 के तहत अधिग्रहित कुल 22 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 237.6 के.जी. एलपीजी गैस एवं 1 गैस रिफिलिंग मशीन को राजसात करने बाबत्

उपस्थित –

1. विभागीय पक्ष, प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थी स्वयं व श्री विजय कुमार शर्मा,अधिवक्ता व भूमिका नामा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 10/04/2026

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए के तहत निम्न प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 के खण्ड 11 के तहत लोक सेवक की परिभाषा में आता है। दिनांक 26.12.2022 को दोपहर 04.00 पी.एम. पर जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा श्रीमती निरमा बिश्नोई के निर्देश पर घरेलू गैस के दुरूपयोग की जांच के क्रम में प्रार्थी द्वारा साक्षीगण पुलिस कॉन्सटेबल श्री मुकेश गुर्जर पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर हाल मुकाम पुलिस थाना पण्डेर बेल्ट नम्बर 1815 एवं खेराड गैस सर्विस जहाजपुर के कार्मिक श्री दामोदर प्रसाद समदानी पुत्र श्री रामराय समदानी निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की उपरिथति में न्यू बस स्टैण्ड के पास, पण्डेर तहसील जहाजपुर स्थित अपोलो टायर्स की दुकान का पुलिस जाब्ता से ताला तुडवाकर औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर अलग–अलग कम्पनियों के **09 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 गैस रिफलिंग मशीन**, जिनसे एल.पी.जी. को वाहनों की टंकियों में भरा जाता है, पायी गयी। उक्त 09 घरेलू गैस सिलेण्डरों का वजन करवाने पर एलपीजी की कुल मात्रा 68.1 किग्रा. पायी गयी। आरोपी कैलाश मेघवंशी न तो मौके पर आया और न ही उसके द्वारा गैस सिलेण्डरों के कागजात उपलब्ध करवाये गये। मौके पर 09 घरेलू गैस किण्डर मय 68.1 किग्रा. एलपीजी एवं एक गैस रिफिलिंग मशीन अवैध रूप से पाई गई जिससे स्पष्ट हो गया कि आरोपी कैलाश मेघवंशी द्वारा नियमों के विरूद्ध घरेलू गैस सिलेण्डरी का अवैध भण्डारण एवं गैस रिफिलिंग मशीन का उपयोग वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के रूप में किया जाता है। इस प्रकार आरोपी कैलाश मेघवंशी द्वारा एलपीजी ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध हुआ है। अतः वजह सबूत मौके पर मौजूद पुलिस कॉन्सटेबल श्री मुकेश गुर्जर पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर हाल मुकाम पुलिस थाना पण्डेर बेल्ट नम्बर 1815 एवं खेराड गैस सर्विस जहाजपुर के कार्मिक श्री दामोदर प्रसाद समदानी पुत्र श्री रामराय समदानी निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा की उपस्थिति में 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 68.1 किग्रा. एलपीजी गैस एवं 01 गैस रिफिलिंग मशीन को जब्त सरकार किया जाकर खेराड़ गैस सर्विस जहाजपुर के कार्मिक श्री दामोदर प्रसाद समदानी पुत्र श्री रामराय समदानी निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को सुपुर्दगी में दिये गये। इसके बाद सायं 4.30 बजे साक्षीगण पुलिस कॉन्सटेबल श्री मुकेश गुर्जर पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर हाल मुकाम पुलिस थाना पण्डेर बेल्ट नम्बर 1815 एवं श्री सद्दाम हुसैन पुत्र श्री सलीम मोहम्मद मंसूरी निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा टेम्पो ड्राईवर मोबाईल नम्बर 9928922883 की उपस्थिति में ग्राम पण्डेर स्थित कैलाश मेघवंशी के ही दूसरे गोदाम, जिसे उसने

10.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गनी मोहम्मद नामक व्यक्ति से किराये पर ले रखा था, का पुलिस जाब्ता से ताला तुड़वाकर निरीक्षण किया गया तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. कम्पनी के 13 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण पाया गर तौल करने पर इन 13 घरेलू गैस सिलेण्डरों में एलपीजी की कुल मात्रा 169.5 के.जी पाई गई। गैस सिलेण्डरों की मौजूदगी से स्पष्ट हो गया कि आरोपी कैलाश मेघवंशी पुत्र श्री भैरूलाल मेघवंशी निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा द्वारा अवैध गैस रिफलिंग की मंशा से घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाकर एलपीजी ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध हुआ है। अतः वजह सबूत मौके पर मौजुद पुलिस कानि0 मुकेश गुर्जर हाल मुकाम पुलिस थाना पण्डेर बेल्ट नम्बर 1815 एवं श्री सद्दाम हुसैन पुत्र श्री सलीम मोहम्मद मंसूरी निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा टेम्पो ड्राईवर मोबाईल नम्बर 9928922883 की उपस्थिति में 13 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 169.5 किग्रा. एलपीजी गैस को जब्त सरकार किया जाकर खेराड गैस सर्विस जहाजपुर के कार्मिक श्री दामोदर प्रसाद समदानी पुत्र श्री रामराय समदानी निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा को सुपुर्दगी में दिये गये। कार्यवाही सम्बन्धी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि जब्त किये गये कुल 22 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 237.6 किग्रा. एलपीजी, एक गैस रिफिलिंग मशीन को राजसात करने का आदेश फरमायें। चूंकि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक है तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस ज्वलनशील, उड़नशील एवं विस्फोटक पदार्थ है एवं गैस सिलेण्डर, गैस रिफिलिंग मशीन आदि के खराब होने की सम्भावना है, अतः प्रकरण में अन्तरिम निस्तारण का आदेश भी फरमावें। इस संदर्भ में निवेदन है कि क्रमांक 208 दिनांक 27.12.2022 से आरोपी कैलाश मेघवंशी पुत्र श्री भैरूलाल मेघवंशी निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा फर्म मालिक अपोलो टायर्स की दुकान, न्यू बस स्टैण्ड के पास, पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध पुलिस थान पण्डेर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए। प्रार्थी की ओर से विभागीय पक्ष उपस्थित, अप्रार्थी की ओर अप्रार्थी व अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा प्रथम गलती मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु विपक्षीगण ने निवेदन किया गया। प्रार्थी पक्ष ने जब्तशुदा 22 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 237.6 किग्रा एलपीजी, एक गैस रिफिलिंग मशीन को राजसात के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

विवेचन उपरान्त पाया गया कि प्रस्तुत किए गए फर्द निरीक्षण, फर्द जब्ती व फर्द सुपुर्दगी की छायाप्रतियों के कम में विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का अन्य रूप से कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये 22 **घरेलू गैस सिलेण्डर (237.6 के.जी.) मय 01 रिफिलिंग मशीन** को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा **22 घरेलू गैस सिलेण्डर (237.6 के.जी.) मय 01 रिफिलिंग मशीन** को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा सामग्री का अन्तिम निस्तारण कर जरिये निलामी (बाजार दर से कम नही होना चाहिये) राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.4.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा